SDO प्रा० पत्र प्र. सं. 35/2023 Online No. 2023/27

परसराम / माधू व अन्य

25/4/23 पत्रावली पेश हुयी। राजस्व मंत्रालयिक कार्मिक हड़ताल पर होने से एवं पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवो के संग अभियान वर्ष 2023 मंहगाई राहत कैम्प [illegible]... में होने से पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 13/6/23..को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

13/6/23 पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील हुई तामीली के अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगाई गई, इसके बावजूद भी नियत पेशी पर अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गयी, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 LRAct का स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया, निर्णय संलग्न है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

...ड अधिकारी

भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
35 / 2023	01.02.2023	13.06.2023

अनवान

1. परसराम पुत्र मगना ओड़ निवासी शास्त्रीनगर, तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज0

प्रार्थी

बनाम

1. माधु पुत्र श्री रतना भील निवासी भोली, तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. चांदी बाई पत्नी श्री हीरा भांबी निवासी भोली, तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. परसा पुत्र श्री हीरा भांबी निवासी भोली, तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. बक्षु पुत्र श्री हीरा भांबी निवासी भोली, तहसील व जिला भीलवाड़ा
5. श्रीमती विमला तेली पत्नी श्री प्रेम लाल तेली निवासी मेन रोड बगता बाबा के पास, तिलकनगर, तहसील व जिला भीलवाड़ा
6. श्रीमती राधा देवी तेली पत्नी श्री कालू लाल तेली निवासी ए–893 / 1 तिलकनगर, तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जिला भीलवाड़ा

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :– अधिवक्ता मनीष कुमार कांटिया – प्रार्थी
एक तरफा– अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भोली, पटवार हल्का भोली, भू.अ.नि. क्षेत्र आटूण, तहसील व जिला भीलवाड़ा में जमाबंदी संवत् 2074–77 के नये खाता संख्या 255 की अभिलिखित आराजियात आराजी सं. 1718 / 1600 रकबा 0.0632 है0, आराजी सं. 1825 / 1600 रकबा 0.0632 है0 कुल किता 02 रकबा 0.1264 है0 भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी के नाम पर दर्ज है तथा विपक्षीगण प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजी का पूर्व में सीमांकन नहीं हुआ है, जिससे मेड़ पाली की घास काटने आदि के बारे में प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आये दिन विवाद होता रहता है। प्रार्थी अपनी आराजी सं. 1718 / 1600 व आराजी सं. 1825 / 1600 की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 13.06.2023 को अप्रार्थीगण के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की इस्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढ़ी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैर–बहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजियात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह–काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने का अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भीलवाड़ा को सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि मौजा भोली, पटवार हल्का भोली, भू.अ.नि. क्षेत्र आटूण, तहसील व जिला भीलवाड़ा में जमाबंदी संवत् 2074–77 के नये खाता संख्या 255 की अभिलिखित आराजियात आराजी सं. 1718/1600 रकबा 0.0632 है0, आराजी सं. 1825/1600 रकबा 0.0632 है0 कुल किता 02 रकबा 0.1264 है0 भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिह्न स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढ़ी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। सीमांकन (पत्थरगढ़ी) हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को 1000/–रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नरी शुल्क का रिकॉर्ड विधिवत् संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करें तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाड़ा को तहरीर जारी करें।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा